राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2324/2023

हरिनारायण **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, स्वास्थ्य भवन, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. अधीक्षक सवाई मान सिंह अस्पताल, जयपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.09.2023

आदेश की दिनांक : 21.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.बी.शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर एस.एम.एस. चिकित्सालय, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 18.08.2023 के द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन के पद पर पदोन्नत करते हुए सी.एच.सी., जयसिंहपुरा खोर, जयपुर पदस्थापित किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा पदोन्नत कार्मिकों की सूची कार्मिकों की इच्छानुसार तीन रिक्त इच्छित स्थान भरवाकर प्रत्यर्थी विभाग ने लिए और अपीलार्थी ने एक रिक्त इच्छित स्थान अपने पद विकल्प में भरकर दिए और प्रत्यर्थी विभाग को भेज दिए। प्रत्यर्थी विभाग ने

आलोच्य आदेश दिनांक 18.08.2023 को जारी किया, जिसमें अपीलार्थी को सी.एच.सी., जयसिंहपुरा खोर, जयपुर में पदस्थापित कर दिया जबकि अपीलार्थी ने सी.एच.सी., जयसिंहपुरा खोर, जयपुर पदस्थापन स्थान भरकर नहीं दिया था और आलोच्य आदेश दिनांक 18.08.2023 के द्वारा अपीलार्थी को सी.एच.सी., जयसिंहपुरा खोर, जयपुर पदस्थापित कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 18.08.2023 जो प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदोन्नत करते हुए अपीलार्थी का पदस्थापन सी.एच.सी., जयसिंहपुरा खोर, जयपुर किया गया था। उसे अपास्त कर उसके पदस्थापन स्थान को परिवर्तित किए जाने के निर्देश फरमाए जावें।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 18.08.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन लैब टेक्नीशियन के पद पर सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी को निदेशालय के आदेश दिनांक 07.06.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा लैब टेक्नीशियन से वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन के पद पर पदोन्नत किया गया और पदोन्नत के उपरांत आदेश दिनांक 18.08.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर से सी.एच.सी., जयसिंहपुरा खोर, जयपुर पदस्थापित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदोन्नत कार्मिकों से पदोन्नति उपरांत पदस्थापन स्थान हेतु विकल्प पत्र चाहे गये थे, जिसमें अपीलार्थी द्वारा भी विकल्प पत्र पदोन्नत उपरांत पदस्थापन स्थान के लिए भरकर दिया गया। सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में पद रिक्त होते हुए भी अपीलार्थी को उक्त रिक्त पद पर पदस्थापित नहीं किया गया जबकि अन्य पदोन्नत कार्मिकों को उनके विकल्प पत्र के आधार पर रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया। इस प्रकार हमारे विनम्र मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा किए गए कृत्य में नियम विरूद्धता परिलक्षित होती है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी की पदोन्नति को प्रभावित न करते हुए

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र अनुलग्नक–4 का प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निर्णय होने तक आलोच्य आदेश दिनांक 18.08.2023 (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा तथा अपीलार्थी आलोच्य आदेश जारी होने से पूर्व जिस स्थान पर कार्यरत था, उसी स्थान पर कार्यरत रहेगा।

उपरोक्त निर्णय के साथ अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य